युवा गवाहों और उनके माता-पिता, अभिभावक एवं परिवार के लिए

क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (दण्ड न्याय प्रणाली) से गुजरना क्या होता है तथा सहायता कैसे प्राप्त की जाए

Victims Information

गवाह न्यूज़ीलैंड दण्ड न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। वे जांच-पड़ताल और अदालत के मामलों में महत्वपूर्ण सबूत देते हैं और यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि सही लोगों को उनके द्वारा किए अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके।

यह जरूरी है कि आपके लिए ऐसी सहायता उपलब्ध कराई जाए जो आपके लिए सही हो। आपके इलाके में ऐसी एजेंसियां हैं जो विशेषज्ञ, व्यावहारिक तथा भावनात्मक सहायता दे सकती हैं। अपने नज़दीक सहायता एजेंसियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप विक्टिम इन्फोर्मेशन लाईन को 0800 650 654 पर फोन कर सकते हैं।

मुख्य सम्पर्कों और शब्दावली के लिए कृपया इस फैक्टशीट (तथ्य पत्र) के अन्त में देखें।

पीड़ित के अधिकार

न्यूज़ीलैंड में अपराध से पीड़ितों को अधिकार प्राप्त हैं। यदि पीड़ित बालक या युवा व्यक्ति है, तो उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावक को पीड़ित के समान ही अधिकार प्राप्त हैं।

आपको अधिकार है कि आपको बताया जाए कि आपकी सहायता के लिए क्या सहायता उपलब्ध है, अदालत में आपके केस की प्रगति के बारे में सूचित रखा जाए और अदालत में जाने पर आप क्या अपेक्षा कर सकते इस बारे में जानकारी दी जाए।

अपराध के कारण आप पर होने वाले प्रभाव के बारे में अदालत को बताने का आपको अधिकार है। यदि आप किसी बच्चे या युवा व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के शिकार हुए हैं, तो आपको फैमिली ग्रुप कान्फ्रेंस (पारिवारिक समूह सम्मेलन) में भाग लेने और आप क्या कार्यवाही देखना चाहेंगे इस बारे में अपना मत देने का अधिकार है।

कुछ केसों में, आप या आपके प्रतिनिधि को नेम सप्रेशन (नाम दमन), जमानत, होम डिटेन्शन (घर निरोध) या पैरोल जैसी चीजों के बारे में अपना मत देने का अधिकार है।

आप अदालत के अधिकारियों, पुलिस और आपके केस में शामिल अन्य किसी भी व्यक्ति से शालीन, दयालु और आदरपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं। आपको गोपनीयता का पूरा अधिकार है।

अपने अधिकारों और आप किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए विक्टिम्स कोड (पीड़ित संहिता) को पढ़ें। यह अन्य उपयोगी जानकारी के साथ हमारी victimsinfo.govt.nz वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों का ध्यान नहीं रखा गया है या आपको अपनी आशा के अनुसार सेवा नहीं प्राप्त हुई है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। victimsinfo.govt.nz वेबसाइट पर जाएं या विक्टिम्स इन्फोर्मेशन लाईन को 0800 650 654 पर फोन करें।

इन्वेस्टीगेशन (जाँच-पड़ताल)

जब किसी अपराध की रिपोर्ट की जाती है तो एक पुलिस अधिकारी को उस केस का इंचार्ज निर्धारित किया जाएगा। यह इंचार्ज अधिकारी आपसे और आपके माता-पिता या अभिभावक से बात करेंगे और आपको बतायेंगे कि सहायता के लिए आप किससे बात कर सकते हैं।

आपके लिए अगर सुरक्षा से सम्बन्धित कोई मुद्दे हुए तो यह अधिकारी उनके बारे में और उनसे कैसे निपटा जा सकता है, इस बारे भी आपसे बात करेंगे

इंटरव्यू (साक्षात्कार)

अपराध की रिपोर्ट किए जाने के बाद जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी पुलिस के लिए आपका इंटरव्यू लेना और आपका बयान लेना जरूरी होगा। यह अपराध पर निर्भर करेगा कि आपका इंटरव्यू कैसे लिया जाए। इंचार्ज अधिकारी आपको इस बारे में स्पष्ट करेंगे।

आपके बयान को वीडियो पर टेप किया जा सकता है या फिर यह एक लिखित बयान भी हो सकता है। आपको अपने लिखित बयान की एक प्रतिलिपि भी दी जाएगी। भले ही आपने बयान दे दिया हो, फिर भी आपको अदालत में सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं।

यह महत्वपूर्ण है कि जो कुछ भी हुआ था आप उसका बयान अपने शब्दों में करें, इसलिए आप अपने परिवार और अन्य लोगों से अपने इंटरव्यू से पहले अपराध के बारे में बात करने की कोशिश न करें।

इंटरव्यू करने वाले लोग अपनी ओर से हमेशा यह कोशिश करते हैं कि आपको केवल एक ही इंटरव्यू देना पड़े, परन्तु कभी-कभी आपको दूसरा इंटरव्यू भी देना पड़ सकता है।

जाँच-पड़ताल के दौरान पुलिस अन्य गवाहों से भी बात करेगी और सबूत इकट्ठा करेगी। अगर उन के पास पर्याप्त सबूत होंगे, तो वे किसी की गिरफ्तारी करेंगे और उस व्यक्ति को दण्डनीय अपराध के लिए चार्ज करेंगे।

बेल (जमानत)

एक बार जब किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उन्हें अदालत में हाजिर होने की जरूरत पड़ने तक रिहा किया जा सकता है। इसे बेल (जमानत) कहा जाता है। कभी-कभी उन्हें कुछ शर्तों का पालन करने की जरूरत पड़ सकती है जैसे कि उन्हें कहाँ निवास करने की जरूरत है और उन्हें घर पर किस समय पहुँचना होगा। अगर पुलिस को लगता है कि आप या समुदाय में अन्य लोगों को खतरा है, तो उस व्यक्ति को अदालत में हाजिर होने तक हिरासत में रखा जा सकता है, जब वे दुबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आप अगर एक गंभीर अपराध के शिकार हुए हैं, तो आप और आपके माता-पिता या अभिभावक से पूछा जाएगा कि उस व्यक्ति के बेल पर रिहा किए जाने के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं और आपको बताया जाएगा कि उन्हें वह बेल मिलती है या नहीं। (इस फैक्टशीट के अन्त में दी गई शब्दावली में बताया गया है कि गंभीर अपराध क्या होता है।)

आपके माता-पिता या अभिभावक से यह भी पूछा जाएगा कि वे विक्टिम नोटिफिकेशन (पीड़ित चेतावनी) रजिस्टर में भाग लेना चाहते हैं या नहीं ताकि आपको इस बारे में बताया जा सके कि सजा सुनाये जाने के बाद अपराधी का क्या होता है। 17 साल की उम्र होने पर आप स्वयं रजिस्टर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, victimsinfo.govt.nz पर हमारी अन्य पुस्तिकाओं को देखें।

विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट (पीड़ित प्रभाव कथन)

अगर आप अपराध से पीड़ित हुए हैं, तो आपसे और आपके माता-पिता या अभिभावक से पूछा जाएगा कि आप विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट देना चाहते हैं या नहीं। इसमें अदालत को यह बताया जाता है कि अपराध का आप पर क्या प्रभाव पड़ा है। आपके केस के इंचार्ज अधिकारी, विक्टिम सपोर्ट या अन्य सहायता एजेंसी आपकी यह स्टेटमेंट (कथन)लिखने में सहायता कर सकती है।

कभी-कभी, जाँच-पड़ताल चाहे कितनी भी संपूर्ण क्यों न हो, पर्याप्त सबूत न होने की वजह से गिरफ्तारी नहीं की जा सकती या केस को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप पर विश्वास नहीं किया गया था।

सपोर्ट (सहायता)

अपने केस की जाँच-पड़ताल के दौरान आप सहायता ले सकते हैं। अपने इलाके में व्यक्तिगत सहायता एजेंसियों के बारे में जानने के लिए आप या आपके माता-पिता या अभिभावक विक्टिम्स इन्फोर्मेशन लाईन को 0800 650 654 नम्बर पर फोन कर सकते हैं। या आप विक्टिम सपोर्ट को 0800 842 846 नम्बर पर फोन कर सकते हैं – विक्टिम सपोर्ट सारे प्रोसिक्यूशन (अभियोग पक्ष) गवाहों और उन्हें सहारे देने वाले लोगों को सहायता दे सकते हैं।

ऑफिसर इंचार्ज (प्रभारी अधिकारी)

केस के बारे में क्या हो रहा है यह जानने के लिए आप किसी भी समय इंचार्ज पुलिस अधिकारी को किसी भी समय फोन या ईमेल कर सकते हैं।

कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र (अदालत पीड़ित सलाहकार)

यदि आप अपराध के शिकार हुए हैं, तो अभियुक्त जब पहली बार अदालत में पेश होता है, तो कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र आपसे सम्पर्क स्थापित करेंगे।

यह उनका काम है कि वे आपके केस में क्या हो रहा है और आप उसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं, इस बारे में आपको सूचित रखें। वे आपको यह भी बता सकते हैं कि आप भावनात्मक और आर्थिक सहायता कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कोर्ट सर्विसिज़ फॉर विक्टिम्स (पीड़ितों के लिए अदालत सेवाएं) नामक पुस्तिका में इस सेवा के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध है।

आप अपने कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र से सीधा, या विक्टिम्स इन्फोर्मेशन लाइन के माध्यम से 0800 650 654 नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं।

युवा गवाहों के लिए संसाधन

अदालत की प्रणाली को समझने में सहायता के लिए युवा गवाह डायग्राम (रेखाचित्र), पोस्टर और पुस्तकों जैसे संसाधन भी प्राप्त कर सकते हैं। इन संसाधनों के लिए कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र से पूछें।

सरकारी एजेंसियों के लिए गाइडलाइन्स (दिशानिर्देश)

बाल गवाहों और उनके सहायक लोगों के साथ काम करने वाली सरकारी एजेंसियों के लिए गाईडलाइन्स (दिशा निदेश) उपलब्ध हैं। इन गाईडलाइनों को आप ऑनलाईन victimsinfo.govt.nz पर देख सकते हैं।

आर्थिक सहायता

गंभीर अपराधों से पीड़ित लोगों के लिए आर्थिक ग्रांट (अनुदान) उपलब्ध हैं (इस फैक्टशीट के अंत में शब्दावली बताती है कि गंभीर अपराध क्या होता है)। ये ग्रांट अपराध के प्रभावों से निपटने में हुए कुछ खर्चों को कवर करने में मदद कर सकते हैं।

आपको आर्थिक ग्रांट मिल सकती है या नहीं और कितनी मिल सकती है, यह जानने के लिए कृपया victimsinfo.govt.nz वेबसाइट पर जाएं या विक्टिम सपोर्ट को 0800 842 846 नम्बर पर फोन करें।

गवाह अदालत से खर्चों का दावा कर सकते हैं। सहायता के लिए अपने कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र से बात करें।

कोर्ट (अदालत) में

डिफेन्डेन्ट (वह व्यक्ति जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया है) शायद अदालत में कई बार उपस्थित होंगे, उदाहरण के तौर पर दोषी या निर्दोष होने का आवेदन करने के लिए या जज द्वारा केस के सबूतों को देखने के लिए।

यदि वह व्यक्ति दोषी होने का निवेदन करता है, तो उन्हें उसी दिन सजा सुनाई जा सकती है, या सजा की सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की जा सकती है। आपको और अधिक गवाही देने की जरूरत नहीं है।

यदि अभियुक्त निर्दोष होने का आवेदन करता है, तो केस अदालत में ट्रॉयल के लिए जाएगा और आपको गवाह के रूप में गवाही देनी पड़ेगी (*गवाह बनना* को देखे)।

युवा गवाहों के लिए अदालत शिक्षा

कोर्ट केस लम्बे और जटिल हो सकते हैं। ये टीवी की तरह से नहीं होते। आपको यदि गवाही देनी पड़ती है तो आप युवा गवाहों के लिए अदालत शिक्षा की माँग कर सकते हैं। यह बालिग अदालत में सारे युवा गवाहों (अभियोगियों को छोड़ कर) को विक्टिम एडवाइज़रों द्वारा पेश किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। इस सेवा को प्राप्त करने के लिए कोई भी युवा गवाह या उनके सहायक व्यक्ति कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र से अदालत में संपर्क कर सकते हैं।

यदि आपने युवा गवाहों के लिए अदालत शिक्षा की मांग की है, तो केस के अदालत में जाने से तीन सप्ताह पहले कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र आपसे सम्पर्क करेगे। वे आपको और आपके माता-पिता या अभिभावक को इस बारे में विस्तार से बतायेंगे कि अदालत में क्या होता है, कौन कहाँ बैठता है और कौन क्या करता है। वे आपको कोर्टरूम को देखने के लिए भी ले जा सकते हैं।

आप विक्टिम इन्फोर्मेशन लाईन के द्वारा 0800 650 654 नम्बर पर अपने इलाके में कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र से सम्पर्क कर सकते हैं।

युवा अपराध

अगर अपराध किसी बालक या युवा व्यक्ति द्वारा किया गया है, तो सारी प्रक्रिया अलग होती है, क्योंकि यह यूथ जस्टिस प्रोसेस (युवा न्याय प्रक्रिया) के माध्यम निपटाया जाता है। इसमें फैमिली ग्रुप कॉन्फ्रेंस (परिवार समूह सम्मेलन) भी शामिल हो सकती है। यदि आप अपराध से पीड़ित हुए हैं, तो आपको कॉन्फ्रेंस में निमंत्रित किया जाएगा। आप यूथ कोर्ट की सुनवाई में भी उपस्थित हो सकते हैं। आप फैमिली ग्रुप कॉन्फ्रेंस और अदालत में अपने साथ सहारा देने के लिए लोगों को ले जा सकते हैं।

यूथ जस्टिस कोओरडिनेटर (युवा न्याय समन्वयक), जो कि चाइल्ड, यूथ एन्ड फैमिली के लिए काम करते हैं, यह सुनिश्चित करेंगे कि आपको इस बात की जानकारी रहे कि केस में क्या हो रहा है और आपको क्या करना है।

कुछ बहुत ही गंभीर युवा अपराध के केसों को बालिग कोर्ट प्रक्रिया के माध्यम से निपटाया जाता है।

गवाह बनना

अदालती केसों के लिए गवाह एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। जो कुछ भी हुआ है, उसके बारे में ये बहुत ही जरूरी सबूत प्रदान कर सकते हैं।

कोर्ट (अदालत) के सामने

आपको अगर गवाह के रूप में बुलाया जाता है, तो इंचार्ज पुलिस अधिकारी या कोर्ट विक्टिम सलाहकार आपको बतायेंगे कि आपको अदालत में कब और कहाँ हाजिर होना है। आपको घर पर एक सरकारी नोटिस डिलीवर किया जाएगा।

केस की अदालत में सुनवाई होने से पहले, इंचार्ज अधिकारी आपसे मुलाकात करेंगे और आपका वीडियोटेप किया गया इंटरव्यू आपको दिखायेंगे ताकि आपको यह याद दिलाया जा सके कि आपने इंटरव्यू में क्या कहा था। वे आपसे इस बारे में भी बात करेंगे कि आप अपनी गवाही कैसे देंगे।

यदि आपको अदालत में सुनने, चलने-फिरने या भाषा अनुवाद की मदद की जरूरत हो तो इंचार्ज अधिकारी, अपने कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र या अपने व्यक्तिगत सहायता कार्यकर्ता से बात करें।

गवाही देना

केस के इंचार्ज पुलिस अधिकारी या कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र आपसे और आपके परिवार से अदालत में या कोर्टहाउस के बाहर मुलाकात कर सकते हैं। अभियुक्त या उनको सहायता देने वाले लोगों से बचने के लिए, वे आपको एक अलग इंतजार करने वाले इलाके में ले जायेंगे। परन्तु हो सकता वे फिर भी आपको अदालत में या उसके आसपास दिखाई दे जाएं।

एक गवाह के रूप में, आपसे इस बारे में प्रश्न पूछे जायेगे कि क्या हुआ था या अपराध के बारे में आप क्या जानते हैं।

इससे पहले कि आप गवाही दें, आपको सच बोलने का वचन देना पड़ेगा। आप शपथ (एक धार्मिक वचन) लेने या प्रतिज्ञा (एक गैर-धार्मिक वचन) करने का चुनाव कर सकते हैं।

यदि आपके पहले इंटरव्यू को वीडियो पर टेप किया गया था, तो उसे आमतौर पर कोर्ट में दिखाया जाएगा। उसके बाद आपसे प्रोसिक्यूटर और अभियुक्त के वकील द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए कहा जाएगा। हो सकता कि जज भी आपसे कुछ सवाल पूछें।

मीडिया को युवा गवाह का नाम या ऐसी किसी भी जानकारी के बारे में रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं होती जिसके द्वारा उनकी पहचान की जा सके।

आपकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी समय अदालत में अपनी सुरक्षा के बारे में चिन्तित हों, तो पुलिस अधिकारी या कोर्ट सुरक्षा अधिकारी से बात करें।

गवाही देने के विकल्प

गवाही देते समय आप अपने माता-पिता या देख-रेख करने वाले या किसी अन्य सहारा देने वाले व्यक्ति को अपने पास बिठा सकते हैं।

आप अदालत में मुख्य रूप से तीन प्रकार से गवाही दे सकते हैं: क्लोज्ड सरकिट टेलीविज़न, पर्दे के पीछे, या बिना किसी पर्दे के।

क्लोज्ड सरकिट टेलीविज़न हो सकता है आप अपनी गवाही एक अलग कमरे से, वीडियो लिंक के माध्यम से दे सकें, ताकि आपके लिए अदालत के कमरे में जाने की जरूरत न पड़े। जज और प्रत्येक वकील जब आपसे सवाल पूछेंगे तो आप उन्हें देख सकेंगे परन्तु आप किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देख सकेंगे।

स्क्रीन (पर्दे) के पीछे यदि आप अदालत में गवाही देते हैं, तो एक पर्दे का इंतजाम किया जा सकता है ताकि आप अपराधी को न देख सके। आप अदालत में अन्य लोगों को देख पायेंगे।

स्क्रीन (पर्दे) के बिना आप विटनेस बॉक्स (कठघरे) से गवाही देने का चुनाव कर सकते हैं और अदालत में सभी लोग आपको देख सकेंगे।

फैसला तथा सजा

ट्रायल के अन्त में, अभियुक्त या तो दोषी पाया जाएगा या निर्दोष। (कुछ केसों में – उदाहरण के तौर पर, जहां ज्यूरी किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पाती तो दूसरी ट्रायल हो सकती है।) सिर्फ इसलिए कि वह व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप पर विश्वास नहीं किया गया था। केस कानून और सबूतों की बात पर निर्भर होते हैं।

अगर अभियुक्त को दोषी नहीं पाया जाता, तो वे जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यह आप के लिए अप्रत्याशित हो सकता है और हो सकता है आप इसके बारे में अपने कोर्ट विक्टिम सलाहकार या सहायता कार्यकर्ता के साथ बात करना चाहें।

अगर उस व्यक्ति को दोषी पाया जाता है, तो उन्हें उसी दिन सजा सुनाई जा सकती है या सजा की सुनवाई की तारीख निर्धारित की जायेगी।

अपील

प्रोसिक्यूटर और अपराधी दोनों को फैसले और सजा पर अपील करने का अधिकार है। इसका अर्थ है कि हाई कोर्ट केस पर दुबारा से विचार करता है। यदि ऐसा होता है, तो प्रोसिक्यूटर आपको उस प्रक्रिया के बारे में बतायेंगे।

सजा

अपराधी को सजा देते समय जज के लिए कई बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे कि अन्य समान अपराधों के लिए क्या सजा दी जा चुकी हैं और अपराधी के बारे में रिपोर्टें और विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट (पीड़ित प्रभाव कथन)।

यदि जज सहमत हों, तो आप और आपके माता-पिता या अभिभावक अदालत में सजा की सुनवाई के समय अपने सारे विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट को या उसके कुछ हिस्सों को पढ़ सकते हैं। अपने कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र या इंचार्ज पुलिस अधिकारी से अपनी ओर से जज से पूछने के लिए कहें।

अदालत के बाद

एक बार दोषी पाए जाने पर, अपराधी को कई सजा मिल सकती हैं, जिसमें जेल, कम्युनिटी सेन्टेन्स (समुदाय की सजा) या जुर्माना शामिल हो सकते हैं।

विक्टिम नोटिफिकेशन (पीड़ित सूचना) रजिस्टर

आप अगर एक गंभीर अपराध से पीड़ित हुए हैं, तो आपके माता-पिता या अभिभावक या देख-रेख करने वाले स्वयं को विक्टिम नोटिफिकेशन रजिस्टर (पीड़ित चेतावनी रजिस्टर) में दर्ज करा सकते हैं, ताकि आपको अपराधी के बारे में सूचना मिल सके, जैसे कि अदालत की प्रणाली के दौरान केस कहां पर है, अगर अपराधी को अस्थायी रूप से जेल से रिहा किया जा चुका है और अगर अपराधी को पैरोल पर रिहा किया जा चुका है। 17 साल के होने पर आप स्वयं रजिस्टर कर सकते हैं।

केस के इंचार्ज पुलिस अधिकारी आपसे इस प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। विक्टिम नोटिफिकेशन रजिस्टर से जानकारी प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने सम्पर्क ब्यौरे को अप-टू-डेट (नवीनतम) रखें।

मुख्य सम्पर्क

आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के चाहे किसी भी चरण पर हों, आपके लिए सहायता उपलब्ध है, और अपराध के प्रभावों का सामना करने के लिए व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध है।

पीड़ितों और अपराध से प्रभावित लोगों के लिए कुछ मुख्य सेवाओं का सम्पर्क ब्यौरा यहाँ दिया गया है। इन सेवाओं के बारे में आप अधिक जानकारी विक्टिम्स इन्फोर्मेशन लाईन को 0800 650 654 पर (सोमवार से शुक्रवार को सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक) फोन करके या victimsinfo.govt.nz वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।

एसीसी
acc.co.nz
0800 101 996 क्लेम्स हैल्पलाईन
0800 735 566 सैंसिटिव क्लेम्स हैल्पलाईन
(यौन हिंसा के पीड़ितों के लिए)

कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र्स (कोर्ट पीड़ित सलाहकार)
0800 650 654 विक्टिम्स इन्फोर्मेशन लाईन

डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन्स
04 460 3000
corrections.govt.nz

न्यूज़ीलैंड पैरोल बोर्ड
0800 PAROLE (727 653)
paroleboard.govt.nz

व्यक्तिगत सहायता
victimsinfo.govt.nz या फोन पुस्तिका में व्यक्तिगत सहायता सेवाएं अनुभाग को देखें।

पुलिस
आप अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन को police.govt.nz पर या फोन पुस्तिका के शुरू में नीले पृष्ठों में ढूंढ सकते हैं।

विक्टिम सपोर्ट (पीड़ित सहायता)
0800 VICTIM (842 846) दिन के 24 घंटे
victimsupport.org.nz

वूमैन्स रिफ्यूज़ (महिला शरणस्थल)
0800 REFUGE (733 843) दिन के 24 घंटे
womensrefuge.org.nz

लैंग्वेज़ लाईन अनुवाद सेवाएं
0800 656 656
सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक, शनिवार सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक

शब्दावली

जमानत
जब अपराध के लिए चार्ज किए गए व्यक्ति को पुलिस द्वारा इस शर्त पर रिहा किया जाता है कि वह अदालत में उपस्थित हो।

कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र (अदालत पीड़ित सलाहकार)
एक न्याय मंत्रालय का कर्मचारी जो कोर्ट प्रणाली को स्पष्ट कर सकता है और पीड़ितों को उनके केस की प्रगति के बारे में सूचित रखता है।

डिफेन्डेन्ट (अभियुक्त)
अपराध का आरोप लगाया गया व्यक्ति।

होमिसाइड (नर-हत्या)
जब एक व्यक्ति की हत्या दूसरे व्यक्ति द्वारा की जाती है।

अपराधी
अपराध का दोषी पाया गया व्यक्ति (दोषी पाए जाने से पहले, अपराध के लिए चार्ज किए गए व्यक्ति को 'डिफेन्डेन्ट' या अभियुक्त कहा जाता है।)

पैरोल
जब अपराधी को उनकी सजा पूरी कर लेने के लिए जेल से बाहर समुदाय में रिहा कर दिया जाता है। उनके लिए कुछ शर्तों का पालन करना जरूरी है।

रिस्टोरेटिव जस्टिस (मज़बूत करने वाला न्याय)
रिस्टोरेटिव जस्टिस की मदद से पीड़ित अपराधी को यह बता सकते हैं कि उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, वे नुकसान की मरम्मत के लिए क्या कर सकते हैं इस बारे में अपने विचार दे सकते हैं, और अपराध के कुछ प्रभावों पर समाधान का काम शुरू कर सकते हैं। इस मीटिंग को रिस्टोरेटिव जस्टिस कॉन्फ्रेंस कहा जाता है।

गंभीर अपराध
- एक यौन प्रकृति या अन्य गंभीर आक्रमण का अपराध।
- एक ऐसा अपराध जिसके परिणामस्वरूप गंभीर चोट लगी हो या किसी की मृत्यु हुई हो।
- एक ऐसा अपराध जिसके कारण पीड़ित को अपनी सुरक्षा या अपने नज़दीकी परिवार के एक या अधिक सदस्य की सुरक्षा के बारे में लगातार आशंका हो रही हो।

विक्टिम नोटिफिकेशन रजिस्टर (पीड़ित चेतावनी रजिस्टर)
एक गोपनीय सूची जिसका प्रयोग क्रिमिनल जस्टिस (दण्ड-न्याय) एजेंसियां पीड़ितों को अपराधी के बारे में सूचित करने के लिए कर सकती हैं, जैसे कि अदालत की प्रणाली के दौरान केस कहाँ पर है, अगर उनकी जेल से अस्थायी रिहाई हो रही है और अपराधी पैरोल के लिए जा रहा है।

केस इंचार्ज पुलिस अधिकारी के पास अपने ब्यौरे को रजिस्टर करें।

विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट (पीड़ित प्रभाव कथन)
इस बात का रिकॉर्ड कि अपराध ने पीड़ित को किस प्रकार से प्रभावित किया है। विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट आमतौर पर लिखित रूप में होता है, परन्तु इसमें फोटो, चित्र या कविताओं को शामिल किया जा सकता है। यह जरूरी है कि अभियुक्त को सजा देते समय जज द्वारा इस पर विचार किया जाए। पीड़ित व्यक्ति सजा सुनाने से पहले कथन को अदालत में पढ़ सकते हैं।

कोर्टरूम

इस डॉयग्राम (नक्शे) में कोर्टरूम के नक्शे का एक उदाहरण और आपको कौन-कौन दिखाई दे सकता है, यह दिखाया गया है।

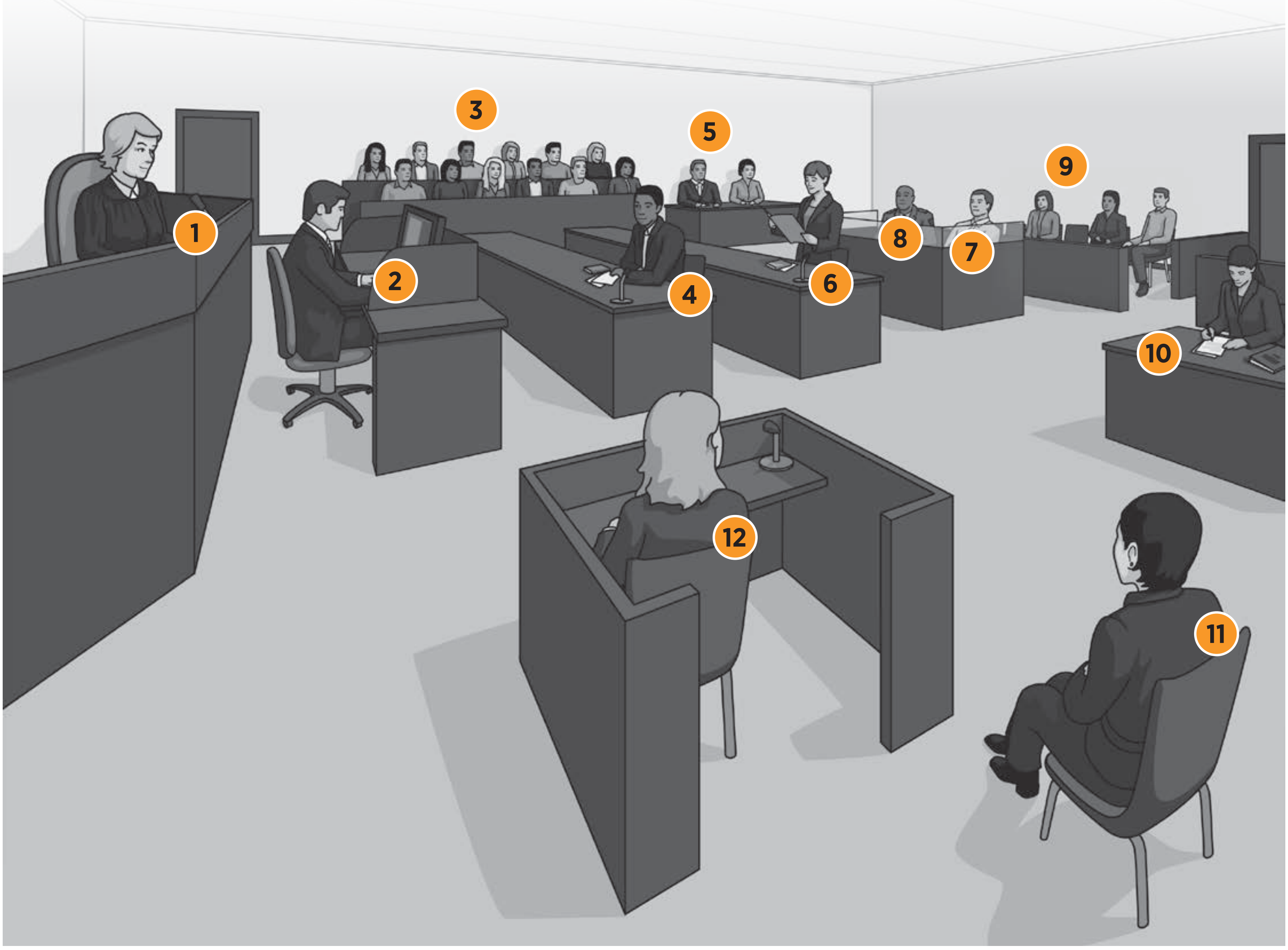

1. **जज** अदालत के इंचार्ज या प्रभारी हैं। वे इस बात का निर्णय करते है कि अभियुक्त दोषी है या नहीं, अगर ज्यूरी होती है तो उनकी जगह ज्यूरी इसका निर्णय लेगी।
2. **रजिस्ट्रार** जज की सहायता करते हैं तथा यह निश्चित करते हैं कि अदालत की प्रणाली का पालन किया जाए।
3. **ज्यूरी** 12 लोगों को मिलाकर बनाई जाती है जो यह निर्णय लेते हैं कि अभियुक्त दोषी है या नहीं।
4. **प्रोसिक्यूटर (अभियोक्ता)** सरकार की ओर से केस लेते हैं तथा उनका उद्देश्य होता है अभियुक्त के खिलाफ केस प्रस्तुत करना।
5. **मीडिया** पत्रकार होते हैं जो केस के बारे में रिपोर्ट करते हैं।
6. **डिफेन्डेन्ट (अभियुक्त) का वकील** अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करता है।
7. **अभियुक्त** वह व्यक्ति होता है जिस पर अभियोग लगाया जाता है।
8. **प्रिज़नर्स एस्कोर्ट (कैदी के साथ जाने वाला व्यक्ति)** अभियुक्त के साथ जाता है।
9. **पब्लिक गैलरी** वह स्थान जहाँ जनता के लोग और पीड़ित का परिवार बैठ सकते हैं, तथा जहाँ गवाह अपनी गवाही देने के बाद बैठ सकते हैं।
10. **कोर्ट विक्टिम एजवाइज़र (कोर्ट पीड़ित सलाहकार)** पीड़ित की अदालत की प्रणाली को समझने में सहायता करता है। यह जरूरी नहीं है कि वे हमेशा अदालत में उपस्थित हों।
11. **विटनेस सपोर्ट परसन (गवाहों का सहायक व्यक्ति)** वह व्यक्ति जिसे जज ने अदालत में गवाह को सहारा देने की अनुमति दी है।
12. **विटनेस (गवाह)** जो कुछ हुआ उसके बारे में या वे अपराध के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसके बारे में गवाही देते हैं।